31

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1058 –एक/2016 विरुद्ध आदेश दिनॉक 16–3–2016 –पारित व्दारा – अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण क्रमांक 363 अ–6/2012–13 अपील

1– श्रीमती एकता राय पत्नि प्रमोदकुमार जैन
शुभम् कालोनी करेली, नरसिंहपुर
2– मनोजकुमार पुत्र स्व.चेतराम राय
व्दारा श्रीमती एकता राय पत्नि प्रमोदकुमार
शुभम् कालोनी करेली, नरसिंहपुर
3– आशीष पुत्र स्व.चेतराम राय
खरे पोस्ट आफिस के पास
55/3 फलेट नं. 104 श्री अपार्टमेंट
खरे टाउन ग्रिपेठ नागपुर महाराष्ट्र
4– श्रीमती माधुरी कटकवार पत्नि दीपक कटकवार
पुत्री स्व.चेतराम निबासी उत्कर्ष पूर्वा अपार्टमेंट
धर्मपेठ नागपुर महाराष्ट्र
5– श्रीमती सीमा पत्नि देवेन्द्र राय
पुत्री स्व.चेतराम राय निवासी सेमनई रोड
आष्ठा मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरुद्ध

1– आयुष राय पुत्र दिनेश राय
2– श्रीमती सरोज राय पत्नि स्व.कृष्णचंद्र राय
3– डा0दिनेश राय पुत्र स्व.कृष्णचंद्र राय
4– निर्मला राय पुत्री स्व.कृष्णचंद्र राय
निवासी एफ–4 डेयरी स्टेट भदभदा
पोस्ट आफिस सूरजनगर भोपाल
5– श्रीमती शारदा पत्नि ईश्वरदयाल राय
मु.पो. जेवनारा जिला सिवनी
6– श्रीमती कमला पत्नि बद्रीप्रसाद राय
कुण्डम जिला जबलपुर

कृ0.पृ030--2

7- श्रीमती विमला पत्नि स्व.फूलचंद वर्मा
निवासी बरेली जिला रायसेन
8- राकेश राय पुत्र कृष्णचंद राय
वृन्दावन कालोनी जिन्दल रेस्ट आउस
के बाजू में रायगढ़ छत्तीसगढ़
9- संदीपकुमार पुत्र खेमचंद कोरी
10-बिनोदकुमार पुत्र खेमचंद कोरी
11-सुनीतावाई पुत्री खेमचंद कोरी
12-सरितावाई पुत्री खेमचंद कोरी
निवासीगण तेन्दूखेड़ा तहसील
तेन्दूखेड़ा जिला नरसिंहपुर म0प्र0 ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक क्र. 1,2,3,4 के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)
(शेष अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4-1-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 363 अ-6/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-3-2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा तेंदूखेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 26/1 रकबा 9.624 हैक्टर स्वर्गीय जमना प्रसाद के नाम थी, जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पॅजी के सरल कमांक 13 पर आदेश दिनॉक 15-10-1983 से तहसीलदार तेन्दूखेड़ा व्दारा मृतक जमना प्रसाद के बारिस चेतराम का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 आयुष राय के पिता स्व. दीपक राय ने अनुविभागीय अधिकारी

तेन्दूखेड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी तेन्दूखेड़ा ने प्रकरण क्रमांक 03/अ-6/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-1-2013 से तहसीलदार का नामान्तरण आदेश दिनॉक 15-10-1983 निरस्त कर दिया तथा अपील स्वीकार करते हुये ख. नं. 29/1 रकबा 2.789 है. , 29/5 रकबा 0.247 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर भूमि पर अपीलार्थी स्व. दीपक राय के पिता कृष्णचंद राय के वारिसों का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध श्रीमती एकता राय पत्नि प्रमोदकुमार जैन ने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण क्रमांक 363 अ-6/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-3-2016 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव अनावेदक क्रमांक 1,2,3,4 के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालाय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक 5 से 12 को बार बार सूचना पत्र भेजे गये, किन्तु वह अनुपस्थित रहे। सम्यक सूचना की जानकारी के अभाव में पॅजीकृत डाक से भी सूचना भेजी गई, किन्तु वह अनुपस्थित हैं उनके विरूद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक एंव अनावेदक क्रमांक 1,2,3,4 के अभिभाषक के तर्को के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी तेन्दूखेड़ा के प्रकरण क्रमांक 03/अ-6/2011-12 अपील के परिशीलन पर स्थिति यह है कि मौजा तेंदूखेड़ा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 26/1 रकबा 9.624 हैक्टर के रिकार्डेड भूमिस्वामी स्वर्गीय जमना प्रसाद

थे एंव जिनकी मृत्यु उपरांत उनके दो पुत्र कृष्णचंद एंव चेतराम वारिस रहे और कृष्णचंद के वारिस श्रीमती सरोज राय पत्नि , राकेश, दिनेश, दीपक एंव निर्मला हैं। जमुना प्रसाद के भाई बाबूलाल के वारिस शारदा, कमला, विमला हैं। सर्वे कमांक 26/1 का बटवारा चेतराम एंव बाबूलाल के वारिस श्रीमती शारदा, श्रीमती कमला, श्रीमती विमला के बीच बराबर हिस्से 4.812 हैक्टर तथा 4.812 हैक्टर का हुआ। इस प्रकार जमुना एंव बाबूलाल दोनों भाई समान भाग (आधे-आधे) के हिस्सेदार थे। अतएव जमनाप्रसाद के वारिस दोनों पुत्र कृष्णचंद और चेतराम हुये। नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 13 पर आदेश दिनांक 15-10-83 से भूमि सर्वे नंबर 26/1 रकबा 9.624 हैक्टर पर नामान्तरण कार्यवाही चेतराम एंव बाबूलाल के बीच होना थी किन्तु कृष्णचंद राय व्दारा अपने हिस्से की भूमि चेतराम को देना अंकित कर दिया गया और उसके बदले में करेली का मकान कृष्णचंद को मिलना बताया जिसके कारण नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 13 पर कृष्णचंद का हक न होना एंव हक त्यागना लिखा गया है जबकि हक त्याग केवल पंजीयत दस्तावेज से किया जा सकता है, जबकि नामान्तरण पंजी पर हक त्यागकर्ता कृष्णचंद के सहमति के हस्ताक्षर तक नहीं है। इस प्रकार की अपूर्ण एंव त्रृटिपूर्ण नामान्तरण कार्यवाही करते हुये तहसीलदार व्दारा नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 13 पर आदेश दिनांक 15-10-83 से किया गया नामान्तरण शून्यवत् श्रेणी में है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी तेन्दूखेड़ा ने प्रकरण कमांक 03/अ-6/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-1-2013 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 15-10-83 को निरस्त करने में एंव विधिक वारिसान का नामान्तरण करने में त्रृटि नहीं है और

इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 363 अ-6/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-3-2016 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी, तेन्दूखेड़ा व्दारा आदेश दिनांक 7-1-13 में तथा अपर आयुक्त, जबल संभाग व्दारा आदेश दिनॉक 16-3-16 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 363 अ-6/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-3-2016 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर